रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2005.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 6 जुलाई 2005/15 आषाढ़, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 जून, 2005

संख्या टी0 सी0 पी0-एफ (5)-8/2002.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक, नगर और ग्राम योजना, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन तैयार की गई कुल्लू जिला के लिए कुल्लू योजना क्षेत्र के संकुलन अग्लामरेशन मनाली के लिए विकास योजना का बिना किसी उपांतरण के अनुमोदन कर दिया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (4) द्वारा उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित जिला कुल्लू, कुल्लू योजना क्षेत्र के संकुलन अग्लामरेशन मनाली के लिए विकास योजना को प्रकाशित करते हैं और सूचित करते हैं कि उक्त विकास योजना का निम्नलिखित अधिकारियों के कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1. सचिव (नगर और ग्राम योजना),
 हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. निदेशक,
 नगर और ग्राम योजना विभाग,
 हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

3. नगर एवं ग्राम योजनाकार,
मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, कुल्लू,
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

उक्त विकास योजना को इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-F* (5)-8/2002, *dated* 20-6-2005 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th June, 2005

No. TCP-F (5)-8/2002.—Whereas the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of section 20 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) has approved the Development Plan for Manali Agglomeration of Kullu Planning Area District Kullu, Himachal Pradesh prepared by the Director, Town and Country Planning Deparment, Himachal Pradesh under section 19 of the said Act without any modifications.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in him *vide* sub-section (4) of section 20 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish the Development Plan for Manali Agglomeration of Kullu Planning Area, District Kullu as approved by the State Government and gives the notice that a copy of the said development Plan may be inspected in the offices of the following Officers during office hours namely :—

1. Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh.

2. The Director,
Town and Country Planning Department,
Himachal Pradesh, Shimla-171009.

3. Town and Country Planner,
Divisional Town Planning Office, Kullu,
Distt. Kullu, Himachal Pradesh.

The said Development Plan shall come into operation with effect from the date of the publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh

By order,

Sd/-
Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित